

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

महावीर पिता हीरालाल धाकड़ वगैरह
बनाम

मोहन पिता खाना रेगर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 47/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये |
|------------|--|--|
| 04/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में में ग्राम रोपा(प्रथम), प.ह. (प्रथम), आराजी सं. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल कित्ता 09 रकबा 3.5207 एवं आराजी संख्या 3796, 3857 हैक्टैयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। मैं ग्राम रोपा(प्रथम), प.ह. (प्रथम), आराजी सं. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल कित्ता 09 रकबा 3.5207 एवं आराजी संख्या 3796, 3857 हैक्टैयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा(प्रथम) को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28/5/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/474/2024

दिनांक- 28-5-24

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 474/2024 अनवान महावीर पिता हीरालाल धाकड़ निवासी-धोलादातां, रामलाल पिता गंगाराम धाकड़ बनाम मोहन पिता खाना रेगर निवासी-रोपां(प्रथम), नन्दा पिता खाना रेगर निवासी-रोपां(प्रथम), कासी पिता खाना रेगर निवासी-रोपां(प्रथम), दुर्गा पिता खाना रेगर निवासी-रोपां(प्रथम), जगदीश पिता गीलू रेगर निवासी-रोपां(प्रथम), नारायण पिता नाथू रेगर निवासी-रोपां(प्रथम) तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रोपा(प्रथम), प.ह. (प्रथम), आराजी सं. 3807, 3808, 3853, 3854, 3855, 3856, 3858, 3921, 3923 कुल कित्ता 09 रकबा 3.5207 एवं आराजी संख्या 3796, 3857 हैक्टियर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा(प्रथम) को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा